भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 3513
21 मार्च, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

निदान-तकनीक अधिनियम का विश्लेषण

†3513.डॉ. टी. सुमति उर्फ तामिझाची थंगापंडियनः
श्री सेल्वाराज वी.:
श्री सुब्बारायण के.:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में वर्ष 2013 से 2017 के बीच प्रत्येक वर्ष 4.6 लाख लड़कियों की जन्म के समय ही मृत्यु हो गई थी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार इस बात का विश्लेषण करने की योजना बना रही है कि गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 के अस्तित्व में होने के बावजूद भी लड़कियों की जन्म के समय मृत्यु कैसे हो जाती है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का ध्यान भारतीय चिकित्सा संघ (आईएमए) के अध्यक्ष द्वारा कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए बनाए गए पीसी-पीएनडीटी अधिनियम के विरुद्ध दिए गए बयान की ओर आकर्षित किया गया है, जिसमें कहा गया है कि 30 वर्षों में इस अधिनियम की भारी विफलता के कारण इस अधिनियम के अंतर्गत निषेधों को समाप्त किए जाने की आवश्यकता है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ङ): भारत सरकार द्वारा लिंग के प्रति संवेदनशील नीतियों, प्रावधानों और कानून के माध्यम से लड़कियों के लिए सकारात्मक वातावरण बनाने हेतु जागरूकता लाने और समर्थन के लिए गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन निषेध) अधिनियम, 1994 लागू किया जाता है। नवीनतम नमूना पंजीकरण सर्वेक्षण (एसआरएस) रिपोर्ट, 2020 के अनुसार, जन्म के समय लिंग अनुपात (एसआरबी) (प्रति 1000 पुरुषों पर 907 महिला) का है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा देश भर में पीसी और पीएनडीटी अधिनियम के कार्यान्वयन को सुदृढ़ करने के लिए नियमित समीक्षा बैठकें, जागरूकता लाने वाले क्रियाकलाप, संवेदीकरण और क्षमता निर्माण कार्यशालाएँ आयोजित करता है और साथ ही नियमित परामर्श जारी किया जाता है।

गृह मंत्रालय (एमएचए) से प्राप्त सूचना के अनुसार, भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत 'पुलिस' और सार्वजनिक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं। कानून और व्यवस्था बनाए रखने, महिलाओं और बच्चों सहित नागरिकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा की ज़िम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है। राज्य सरकारें मौजूदा कानून के प्रावधानों के तहत ऐसे अपराधों से निपटने में सक्षम हैं।

हालांकि, गृह मंत्रालय द्वारा महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायक और पूरक की भूमिका निभाने के उद्देश्य से समय-समय पर परामर्शिका जारी की जाती है, जो www.mha.gov.in पर उपलब्ध हैं। इन परामर्शिकाओं, में अन्य बातों के साथ-साथ महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराध पर विशेष बल देते हुए कानून के प्रभावी कार्यान्वयन के निर्देश शामिल हैं।

******